

14-12-2022

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलान्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामे के आधार पर अपील विद्धो करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस व उसके पडौसी खातेदारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इस कारण अपीलान्ट्स इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा उक्त अपील जरिये विद्धो खारीज करने का निवेदन किया गया। अतः वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स की उक्त अपील जरिये विद्धोल खारीज की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Chalmer Kans  
Adv  
(सुनारिण प्रभाकर)  
Amul  
(Amrit mek)  
14/12/22

14/12/22  
डिविजनल कमिश्नर  
जोपुर